"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001." .

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 फरवरी 2011—फाल्गुन 4, शक 1932

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29.—छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम-2011 की नियम-1 के उपनियम (3) के द्वारा शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा 01 अप्रैल, 2011 से उक्त वर्णित नियम के समस्त प्रावधानों का क्रियान्वयन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2011

क्रमांक एफ 10-122/खाद्य/2010/29.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप वासनीकर, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd February 2011

NOTIFICATION

No. F 10-122/Food/2010/29.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, the State Government hereby appoints the 1st day of April 2011 as the date on which all the provisions of the said Rules, shall come into force.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DILIP WASNIKAR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.